बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पहचान किये गये पात्र व्यक्तियों/परिवारों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति, अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न की आपूर्ति एवं किरासन तेल वितरण सुनिश्चित करने हेतु बिहार राशन कूपन एवं किरासन तेल कूपन योजनान्तर्गत राशन कूपन एवं किरासन कूपन उपलब्ध कराने हेतु 17.06 करोड़ रू0 व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में ।

राज्य में राशन कूपन योजना एवं किरासन कूपन योजना लागू है । विभागीय संकल्प सं0– 3833 दिनांक 07.12.2006 के आलोक में राशन कूपन योजनान्तर्गत राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष राशन कूपन उपलब्ध कराया जाता है । इसी प्रकार संकल्प सं0– 3841 दिनांक 07.12.2006 के आलोक में किरासन तेल कूपन योजना के अन्तर्गत राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षित ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय परिवारों को निर्धारित मात्रा एवं दर पर किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष किरासन तेल कूपन उपलब्ध कराया जाता है ।

2. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया है जिसके प्रावधानों को माह फरवरी, 2014 से राज्य में भी लागू किया गया है । इस योजनान्तर्गत भारत सरकार के द्वारा कुल 55.27 लाख मे0टन खाद्यान्न का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है । अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्वांत के आलोक में अबतक पहचान किये गये कुल 7,60,62,727 पात्र व्यक्तियों हेतु कुल 4.09 लाख मे0टन खाद्यान्न बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों से निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान पर पहुँचाया जा रहा है ।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को राज्य में लागू करने के फलस्वरूप लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के व्यक्तियों/परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है ।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में विभाग द्वारा पात्र परिवारों की पहचान हेतु मार्गदर्शक सिद्वांत का निर्धारण कर पूर्विकताप्राप्त एवं अन्त्योदय श्रेणी के व्यक्तियों/परिवारों का चयन किया गया है एवं इन व्यक्तियों/परिवारों को अधिनियम

के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्रेणी के व्यक्तियों/परिवारों को खाद्यान्न के अनुमान्यता के अनुसार अन्त्योदय श्रेणी के अन्तर्गत प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (21 किलोग्राम चावल एवं 14 किलोग्राम गेहूँ) तथा पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के गृहस्थियों के प्रति सदस्य को 5 किलोग्राम खाद्यान्न (3 किलोग्राम चावल एवं 2 किलोग्राम गेहूँ) प्रति माह 3/– रू0 प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं 2/– रू0 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ की आपूर्ति की जा रही है । इस प्रकार पूर्व के विभिन्न श्रेणी अन्त्योदय, बी0पी0 एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवार के स्थान पर उक्त दो श्रेणी के परिवार खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र गृहस्थी हो गये है ।

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्याय 5 में खाद्यान्न कूपन योजना की चर्चा की गई है । राज्य में पूर्व से ही राशन एवं किरासन कूपन योजना लागू है । इसके आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहचान किये गये व्यक्तियो को राशन कूपन एवं पूर्व में सर्वेक्षित ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय परिवारों को किरासन तेल का कूपन माह जुलाई, 2015 से जून, 2016 तक के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में आच्छादित जनसंख्या भारत सरकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है जिसके अनुसार बिहार राज्य के 87116000 जनसंख्या/व्यक्तियों को आच्छादित किया जाना है । अन्त्योदय परिवारों की संख्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2501000 ही रखा गया है । अबतक निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार SECC डाटा से कुल 76062727 जनसंख्या/व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है । इसमे से अन्त्योदय परिवारों के सदस्यों की संख्या के पश्चात् पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत कुल 64407986 जनसंख्या/व्यक्तियों को आच्छादित किया गया है । अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत कुल 2501000 परिवार आच्छादित है । भारत सरकार द्वारा 8.71 करोड़ जनसंख्या का लक्ष्य निर्धारित है । SECC के आकड़ों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है जिसके आलोक में निर्धारित मानकों के अनुरूप 7.60 करोड़ लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष लाभार्थियों को भी राशन एवं किरासन कूपन उपलब्ध कराया जाना है ।

7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पूर्विकताप्रापत श्रेणी के अन्तर्गत अबतक पहचान किये गये कुल 64407986 पात्र व्यक्तियों के विरूद्व जिलों से कुल 64336941 व्यक्तियों हेतु कूपन मुद्रण करने की अधियाचना प्राप्त हुई है । इन्हें प्रति माह एक कूपन उपलब्ध कराने पर एक वर्ष हेतु कुल 772043292 कूपन की आवश्यकता है । इस श्रेणी के कूपन का रंग लाल रखा गया है । कुल 2501000 पात्र अन्त्योदय परिवारों के विरूद्व जिलों द्वारा कुल 2500138 व्यक्तियों हेतु कूपन की अधियाचना प्राप्त हुई है । इन्हें प्रतिमाह गेहूँ एवं चावल का अलग–अलग राशन कूपन उपलब्ध कराने पर एक वर्ष हेतु कुल 60003312 कूपन की आवश्यकता है । किरासन तेल हेतु कुल सर्वेक्षित 24748274 परिवारों हेतु प्रति माह एक कूपन की दर से एक वर्ष हेतु कुल 296979288 कूपन की आवश्यकता है। इसी प्रकार 41604 अन्नपूर्णा लाभुकों

को वर्ष में 4 कूपन की दर से उपलब्ध कराने हेतु कुल 166416 कूपनों की आवश्यकता होगी। अन्त्योदय परिवारों, किरासन तेल एवं अन्नपूर्णा योजना हेतु कूपन का रंग पूर्ववत् है।

8. वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जुलाई, 2015 से जून, 2016 तक कूपन की आपूर्ति हेतु प्रति कूपन रू0 0.151 अथवा 15.10 पैसे का दर निविदा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राशन एवं किरासन हेतु कुल 1129192308 कूपन का मुद्रण हेतु कुल 170508038/– रू0 का व्यय संभावित है। मुख्य बजट शीर्ष 3456 – सिविल पूर्ति उप मुख्य शीर्ष 00 लघुशीर्ष 001 – निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0001– मुख्यालय प्रभार 16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण (विपत्र कोड– एन0 3456000010001) मद में वर्ष 2015–16 हेतु कुल 100000000/– रू0 आवंटन उपलब्ध है। शेष 70508038 अर्थात 7.06 करोड़ रूपये द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।

9. अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पहचान किये गये पात्र व्यक्तियों/परिवारों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राशन कूपन योजनान्तर्गत राशन कूपन एवं किरासन कूपन योजनान्तर्गत किरासन कूपन उपलब्ध कराने हेतु कुल 17.06 करोड़ रू0 व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है ।

10. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 22.08.2015 को मद संख्या – 02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।संचिका संख्या–प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–03/2013– 68/टि0 ।

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–03/2013 6827 खाद्य–पटना/दिनांक– 27.08.15
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–03/2013 6827 खाद्य–पटना/दिनांक– 27.08.15
प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–03/2013 6827 खाद्य–पटना/दिनांक– 27.08.15
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय /स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

26/8/2015
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–03/2013 6827 खाद्य–पटना/दिनांक– 27.08.15
प्रतिलिपि – बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/अपर सचिव–सह– सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2015
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–03/2013 6827 खाद्य–पटना/दिनांक– 27.08.15
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2015
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–03/2013 6827 खाद्य–पटना/दिनांक– 27.08.15
प्रतिलिपि – अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2015
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र06–रा0कू0(मुद्रण)–03/2013 6827 खाद्य–पटना/दिनांक– 27.08.15
प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

26/8/2015
सरकार के सचिव।

D:\Year --2014\SECTION--06\Door cabinet_Sankap_02.doc